क्रमांक – 49

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021 (श्रावण 6, 1943)

छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक,2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) में प्राप्त संशोधन की सूचना

माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक,2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) में संशोधन प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई है, जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राह्य किया गया है। संशोधन निम्नानुसार हैं :–

1. विधेयक के खण्ड–12 के उपखण्ड (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाये–"कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के नियोजन में जिस स्थिति में था, वह चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के अधिग्रहण के पश्चात् भी उसी स्थिति में नियोजित माना जायेगा।"

2. विधेयक के खण्ड–12 के उपखण्ड (3) के पश्चात् निम्नानुसार स्पष्टीकरण को स्थापित किया जाये–

   "**स्पष्टीकरण**–चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के पूर्व स्वामियों द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।"

3. विधेयक के खण्ड 13 की अंतिम पंक्ति में शब्द "**कार्यवाही नहीं होगी**" के स्थान पर "**कार्यवाही की जा सकेगी**" स्थापित किया जाये।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा